फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2022/383 बअनवान महेश्वरसिंह चौहान बनाम मुकेश अग्रवाल वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वादी के अधिवक्ता श्री हेमंत बोहरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी जा रही है कि प्रकरण वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के लिये नियत है। वादी/प्रार्थी का उक्त प्रकरण प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से प्रार्थी की जानकारी के बाले बाले पटवारी हल्का कोठार द्वारा गलत रूप से जमाबंदी में दर्ज खातेदारी नाम हटाकर अन्य खातेदारों के हिस्से गलत रूप से दर्ज किये जाने से प्रार्थी द्वारा न्यायालय में 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुति के निर्देश दिये जाने से उक्त वाद पेश किया गया है। जिस वाद में भूमिधारी का जवाबदावा जानबूझ कर अभी तक पेश नहीं किया गया है तथा वादी प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाली को कई प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का कोठार के विरूद्ध किये जाने बाबत पेश किये जाने के बावजूद आज दिनांक तक पटवारी हल्का के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पटवारी हल्का व तहसीलदार बाली की पूर्ण जानकारी में होने के बावजूद प्रार्थी/वादी के हिस्से की भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया है। जिससे प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार बाली का जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाने के बाद प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें। वकील वादी की दलीलों का खंडन करते हुये प्रतिवादी संख्या 06 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादपत्र में वर्णित भूमि कृषि भूमि नहीं होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तनशुदा भूमि है जिस कारण उक्त वाद को सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यानि वाद बार्ड बाई लॉ होने से वादी के वाद को खारिज किये जाने हेतु उनके द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया है जिसका जवाब भी वादी अधिवक्ता द्वारा दिया जा चुका है। सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उक्त प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता के आधार पर निर्णीत किये जाने के उपरांत ही अन्य प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई एंव वाद में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान में प्रकरण प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के लिये लंबित होने से विधि अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों एंव वादग्रस्त भूमि के वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के आधार पर प्रकरण बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि उक्त प्रकरण वर्तमान में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के लिये लंबित है। प्रस्तुत वाद में ग्राम कोठार के खसरा नंबर 404/1 व 405/1 में वादी को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। परंतु पत्रावली के संलग्न कनवर्जन आदेश क्रमांक IC\2021-22\119500 DATE 16-11-2022 से कोठार के खसरा नंबर 404/1, 405/1 व अन्य खसरा नंबर 405/3, 406/2, 407/2, 408/2 औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तनशुदा भूमि है। इस प्रकार प्रकरण में वर्णित कृषि भूमि न होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तनशुदा भूमि होने से इस वाद को सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है जिससे आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार वादी का उक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है। सीपीसी के प्रावधानों अनुसार आदेश 07	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)	नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता से निस्तारित किये जाने के प्रावधान नियत है। लिहाजा प्रार्थना पत्र वकील वादी 151 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुये वादी द्वारा ग्राम कोठार स्थित भूमि 404/1 व 405/1 के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कंदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

महेश्वररिंह चौहान पुत्र गोविन्दरिंहजी चौहान जाति राजपूत निवासी ओम साई अपारमेन्ट सुभाष नगर पाथों की मगरी, गिरवा शास्त्री सर्कल उदयपुर अधिकृत प्रतिनिधि आर.ए. ग्रेनाइट माईन्स प्रा. लि. राजनगर, राजसमन्द, जिला पाली (राज.)

प्रतिवादीगण :–

1. मुकेश अग्रवाल पुत्र मानमल अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 200 आर्शीवाद मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर
2. रविकांत मुन्दडा पुत्र विमलचन्द मुन्दडा, जाति जैन महेश्वर निवासी के के हाउस पृथ्वीराज नगर किशनगज जिला अजमेर
3. प्रशांत भारद्वाज पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी हाउस नंबर 1525 गौशाला रोड गुलाब पुरा हुरडा जिला भीलवाडा
4. परीक्षित भाटी पुत्र अर्जुनसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी 3/13 पार्वती नगर सर्किट हाउस मार्ग रेजीडेन्सी रोड रातानाडा जोधपुर
5. भवानीसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी रावला 211 रावला चौहटा बाकरा जिला जालौर
6. अभिमन्युसिंह भाटी पुत्र अर्जुनसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी सेवर हाउस ओल्ड बगीखाना रोड रातानाडा जोधपुर
7. मानसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रावला 211 रावला चौहटा बाकरा जिला जालौर
8. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2022/383
वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी सपठित आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिकी पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner